

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक प.33 (2)गृह-9/2019

जयपुर दिनांक 07.04.2020

आदेश

विषय:- लॉकडाउन अवधि के दौरान निजीक्षेत्र में अनुमत गतिविधियों की सूची के संबंध में स्पष्टीकरण।

आदेश दिनांक 26.03.2020 में लॉकडाउन के दौरान अनुमत विभिन्न गतिविधियों की श्रेणियों वर्णित की गई थीं। आदेश दिनांक 04.04.2020 द्वारा ऐसी ओर कुछ गतिविधियाँ सम्मिलित की गईं।

यह ध्यान में आया है कि बड़ी संख्या में ऐसे निजी प्रतिष्ठान अभी भी, प्रतिष्ठान को खोलने/संचालन के लिये स्वीकृतियाँ प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं।

1. अनुमत श्रेणी के प्रतिष्ठानों को पृथक से अनुमति प्राप्त किये बिना संचालन की शर्तें।


आगे से, ऐसी सभी दुकानें, बिक्री केन्द्र, कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखाने, कार्यशालायें, भंडारगृह, गोदाम एवं सेवाये जो "अनुमत श्रेणी में है निम्न शर्तों के अध्यक्षीन पृथक से अनुमति की आवश्यकता के बिना खुल सकेगी/संचालित किये जा सकेगी:-

- (1) ऐसी ईकाईयाँ आदि समय-समय पर निर्दिष्ट सामाजिक दूरी, स्वच्छता, चेहरे के मास्क आदि बुनियादी एहतियाती उपायों की अनुपालना करेगी।
- (2) जिला प्रशासन/विभाग या स्थानीय निकाय के संबंधित अधिकारीगण यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त मापदण्डों (मानकों)/सावधानियों की पालना की जा रही है। जो कोई ईकाई मापदण्डों (मानकों)/सावधानियों की पालना नहीं करेगी उसे बंद कर दिया जावे।
- (3) कोई दुकान, कारखाना, प्रतिष्ठान जो अनुमत श्रेणी में नहीं है और खुला पाया जाता है के विरुद्ध लॉकडाउन के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों की उल्लंघना के लिये कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- (4) ऐसी ईकाई जिसके बारे में "अनुमत" श्रेणी में है या नहीं स्पष्ट नहीं है के बारे में जिला प्रशासन से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जावेगा।

## 2. मालिको/कर्मचारियों/कामगारो/श्रमिकों के लिये पास व्यवस्थ


मालिक/कर्मचारी/कामगार/श्रमिक, यदि वे काम के उद्देश्य से कार्यस्थल या कारखाने परिसर पर रह रहे हैं तो उन्हें अलग से पास की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य किसी उद्देश्य के लिये ऐसे कर्मचारियों/श्रमिकों को लॉकडाउन के दौरान घर पर रहने की शर्तों की अनुपालना करना आवश्यक होगा।

सभी अन्य व्यक्ति जिनको घर से कार्यस्थल तक यात्रा करने की आवश्यकता है को पूर्व में पास के लिये निर्धारित की गई व्यवस्था निरन्तर जारी रहेगी।

  
(राजीव स्वरूप)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
5. समस्त संभागीय आयुक्त।
6. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
7. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
8. आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग।
9. समस्त जिला कलक्टर्स।

  
(पी.सी.बेरवाल)  
विशिष्ट शासन सचिव, गृह